Concern over continuous Shrinking of Agricultural Land

श्री बनवरी लाल कंछल: (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में खेती की जमीन लगातार घटती जा रही है, रेज घट रही है और यह कई कारणों से घट रही है। इस वक्त मैं SEZ जैसे विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, मगर इसके दो-तीन कारण में सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। देश में इस समय सभी धर्मों के सौ से ज्यादा संत, महात्मा और कथावाचक ऐसे हैं, जिनमें आश्रम बनवाने की होड़ लगी हुई है, बड़े-बड़े आश्रम बनवाने की होड़, बल्कि पांच- पांच एकड़ के, दस-दस एकड़ के, पचास –पचास एकड़ के, सौ-सौ एकड़ के आश्रम है। अब आप बताइए, अगर ये आश्रम पच्चीस-पच्चीस एकड़ के, पचास-पचास एकड़ के सभी धर्मो के बन जाएंगे, किसी एक धर्म के नहीं, तो कृषि की जमीन घटेगी या नहीं घटेगी? इसलिए मैं सदन के ध्यान में यह बात लाते हुए आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे आश्रमों के बनने पर रोक लगानी चाहिए आव्र एक कमेटी बननी चाहिए, जो देखे कि जो यदि कोई एक एकड़ से ज्यादा जगह खरीदता है तो उसका परपज क्या है और वह जगह उसकी अनुमति से ही खरीदी जाए।

महोदय, दूसरा कारण यह है कि आज जितने भी बड़े और छोटे शहर है, जिला मुख्यालय के शहर, उनके बाहर फार्म-हाउस और बारात-घर बनाने को होड़ लग गई है। बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास लूट का पैसा है और बड़े-बड़ धन्ना सेठ, पूंजीपति पांच-पांच एकड़, दस-दस एकड़ के फार्म-हाउस धड़ाधड़ बनाते चले जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। इन फार्म-हाउसों और बारात-घरों के कारण सड़कों के किनारे जो कृषि की अमूल्य जमीन है। वह लगातार घटती जा रही है। इसी तरीके से तीसरा कारण यह है कि देश के पांच सौर बड़े पूंजीपति बड़े-बड़े शॉपिंग माल बनाते जा रहें है, तीन-तीन मील के शॉपिंग माल बनाते जा रहे हैं। गुड़गांव में तीन किलोमीटर का एक लंबा, बड़ा शॉपिंग माल बनाया गया है। तो ये एक-एक लाख, दो-दो लाख, तीन तीन लाख फुट के शॉपिंग माल बन रह है और इससे कृषि जमीन का क्षय होता जा रहा है।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का और अपने कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूँ कि इन पर तत्काल रोक लगाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैं एसोसिएट करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं एसोसिएट करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृन्दा कारत (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं एसोसिएट करती हूँ।

श्री सैयद अज़ीज पाशा (आन्ध्र प्रदेश): सर, मैं एसोसिएट करता हूं।

डा0 राम प्रकाश (हरियाणा): सर मैं एसोसिएट कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हां, सब एसोसिएट करते हैं । ...(**व्यवधान**)...

Kehabilitation-Cum-Revivai package of Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman Sir, I would like to raise a very important issue regarding the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam. It is a very prestigious shipyard in the public sector. In fact, the people of India are so proud of the greatest contribution made by this shipyard to the shipping industry for so many years. But, unfortunately, about 7-8 years ago, when the shipping industry was in recession, nationally and internationally, the Hindustan Shipyard was in trouble, financially. Now, I would like to place before this august House as the matter stands today. The company has incurred Rs. 1106 crores loss in the last three years. The net worth is Rs. 950 crores. With the result, even though it has orders in hand for Rs. 1956 crores, it is not able to proceed further in spite of having high technology, quality of work, manpower, etc., because of lack of working capital.

Recently, the BRPSE recommended to the Government that about Rs.950 crores should be given for rehabilitation and financial restructuring of this company. Subsequently, a Group of Ministers was constituted for which Shri Pranab Mukherjee was the Chairman and Shri Chidambaram, the hon. Defence Minister and the hon. Minister for Shipping, Road Transport and Highways were Members. After that, Sir, several meetings took place. We understand that it was discussed and decided, considering the importance of this shipyard and its contribution and requirement to the Ministry of Defence, particularly for the Indian Navy, since it has its base at Visakhapatnam, by the GoM to handover the shipyard to the Defence Ministry and use it for national security purpose. It is a welcome move. On 6th November, 2007, we read in newspapers that they have decided to transfer this shipyard to the Ministry of Defence, today, we are in April, 2008, but nothing has happened so far. The workers unions and employeed are all concerned. So many people, who had sought voluntary retirement, have not got wages, salaries, compensation, etc. I would like to draw the attention of the House, the Ministry and aslo the Chairman towards this very important matter. When the Group of Ministers has already decided that they must take an immediate decision in the matter within thirty days and see to it that all the concerns of the employees are immediately addressed to, then, why there is delay. The people are very much upset. Nation's one of the most prestigious shipyard cannot be treated like this.

Compulsory Compassionate Appointment for the Dependents of Government Servants

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन का ध्यान एक मानवीय पहलू की ओर आकृष्ठ करना चाहता हूं।

प्राय: ऐसा देखा गया है कि यदि केन्द्रीय कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल में या डयूटी करते समय हो जाती है और यदि वह कर्मचारी अपने परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, तो पूरा आश्रित परिवार एकाएक बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे परिवार की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, बल्कि ह्रदे ये महसूस किया जा सकता है।

मैं उन राज्य सरकारों को ह्दय से धन्यवाद देता हूं, जो मृतक आश्रितों के परिवार के सदस्य को फौरी तौर पर सरकारी नौकरी प्रदान कर देती है, जिससे उनके दुख-दर्द में राहत महसूस होती है।

मुझे शिकायत है केन्द्र सरकार से , जो अपने कर्मचारियों के मृतक आश्रित सदस्य को नौकरी देने की प्रार्थना पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर पल्लू झाड़ लेती है। यह अत्यंत दुखद है। मेरे संज्ञान में है कि कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों ने तस्करों एवं उग्रवादियों से लड़ते –लड़ते अपनी जान दे दी, जब उनके आश्रितों को नौकरी देने की बात आई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यता का हवाला देकर सरकार ने पल्लू झाड़ लिया।

इस प्रकार के प्रकरण को मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए, जिससे मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस सहयोग से अन्य सेवारत कर्मचारियों में भी सेवा के प्रति समर्पण एवं निष्ठा का भाव बढ़ेगा।

अत: मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि वह मृतक आश्रित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को त्वरित नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान करे। मृतक आश्रित नियुक्ति कोटा पर 5% के प्रतिबंध को हटाने हेतु आवश्यक कानूनी परिवर्तन कराया जाए, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना का प्रकरण भी समाप्त हो जाए। धन्यवाद।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं इनको एसोसिएट करता हूं।